



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1639]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 4, 2018/वैशाख 14, 1940

No. 1639]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 4, 2018/VAISAKHA 14, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

सं० 06/2015-2020

विषय: आईटीसी (एचएस) 2017— अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 7 के तहत विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल.) विल्कजेक प्रजाति की फलियों की आयात नीति में संशोधन।

अधिसूचना सं० 22/2015-2020 दिनांक 21 अगस्त, 2017 के तहत उड़द और मूंग के आयात को 3 लाख मी०टन वार्षिक कोटे के साथ प्रतिबंधित सूची में डाला गया।

का० आ० 1826(अ०).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं० 22/2015-2020 दिनांक 21 अगस्त, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय-7 की मदों की आयात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

एक्विजम कोड	मद का विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित आयात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
0713 31 00	विग्ना मूंगो (एल.) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल.) विल्कजेक प्रजाति की फलियां	प्रतिबंधित	उड़द/मूंग का आयात इस अध्याय की नीतिगत शर्त-3 के अधीन है।	कोई परिवर्तन नहीं	कोई परिवर्तन नहीं

071390	अन्य				
0713 90 10	टुकड़ा	मुक्त, पिजन पीज (केजानस केजन) / तूअर दाल को छोड़कर जो प्रतिबंधित है।		मुक्त पिजन पीज (केजानस केजन) / तूअर दाल तथा विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियां, विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों को छोड़कर, जो प्रतिबंधित है।	विग्ना मूंगो (एल), हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों विग्ना मूंगो (एल), हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों का आयात नीतिगत शर्त सं० 3 के अधीन है।
0713 90 90	अन्य	मुक्त, पिजन पीज (केजानस केजन) / तूअर दाल को छोड़कर जो प्रतिबंधित है।		मुक्त, पिजन पीज (केजानस केजन) / तूअर दाल और विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों, विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों जो प्रतिबंधित है; को छोड़कर।	विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर अथवा विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों विग्ना मूंगो (एल) हेप्पर या विग्ना रेडिएटा (एल) विल्कजेक प्रजाति की फलियों का आयात नीतिगत शर्त 3 के अधीन है।

नीतिगत शर्त 3: अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार उड़द और मूंग का आयात उपर्युक्त सभी तीन एचएस कोडों के तहत 3 लाख मी. टन (1.5 लाख मी० टन प्रत्येक) के वार्षिक (राजकोषीय वर्ष) कोटे के अधीन होगा। यह प्रतिबंध किसी द्विपक्षीय/क्षेत्रीय समझौता/समझौता ज्ञापन के तहत सरकार की आयात संबंधी प्रतिबद्धताओं पर लागू नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव: एचएस 07133100 के तहत उड़द और मूंग के अलावा एक्जिम कोड: 07139010 और 07139090 के तहत उड़द और मूंग का टुकड़ों और अन्य रूपों में भी आयात प्रतिबंधित है जिसमें सब के लिए 3 लाख मी० टन का वार्षिक आयात कोटा होगा।

[फा० सं०. एम-5012/300/2002-पीसी-2(ए)/ई-5168]

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2018

No. 06 /2015-2020

Subject: Amendment in import policy of Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek under Chapter 7 of the ITC (HS) 2017, Schedule-I (Import Policy).

Vide Notification No. 22/2015-2020 dated 21 August, 2017 import of urad and moong was put under restricted list with 3 lakh MT of annual quota.

S.O. 1826 (E):—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992 read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government, in partial modification of Notification No. 22/2015-2020 dated 21 August, 2017 hereby amends the import policy of items of Chapter 7 of the ITC (HS) 2017, Schedule- I (Import Policy), as under:-

Exim Code	Item Description	Existing Policy	Existing policy condition	Revised Import policy	Revised Policy Condition
0713 31 00	Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek	Restricted	Import of Urad / Moong is subject to Policy Condition 3 of this chapter.	No change	No change
0713 90	Other:				
0713 90 10	Split	Free except Pigeon Peas (Cajanus cajan) / Toor Dal which is Restricted	-	Free except Pigeon Peas (Cajanus cajan) / Toor Dal and Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek which are Restricted	Import of Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek is subject to Policy Condition No.3.
0713 90 90	Other	Free except Pigeon Peas (Cajanus cajan) / Toor Dal which is Restricted	-	Free except Pigeon Peas (Cajanus cajan) / Toor Dal and Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek which are Restricted.	Import of Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek is subject to Policy Condition No.3.

Policy Condition 3: Policy Condition 3: Import of Urad and Moong under all the above three HS codes shall be subject to an annual (fiscal year) quota of 3 lakh MT (1.5 lakh MT each) as per procedure to be notified. This restriction will not apply to Government's import commitments under any bilateral/regional Agreement/MOU.

2. **Effect of this Notification:** Import policy of urad and moong in split & others forms under EXIM Codes: 0713 90 10 and 0713 90 90 are also restricted in addition to urad and moong under HS: 0713 31 00 with annual import quota of 3 lakh MT for all.

[F.No. M-5012/300/2002-PC-2(A)/e-5168]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General